

11/10,000

44400



अभि रणजीत

किरणल मेहता

दस्तावेज लिपिक ला०नं० 111/03
मेदिनीनगर, पलामू



A (1) ... 333.00 ...
L. L. R. ... 3 ...
P. Fee ... 1 ...

33307

Executed sale deed

Sudanshan Basrel

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2.11.01312854
प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट
संख्या 147 मुक्त है।
147

दस्तावेज जाँचा
हस्ताक्षर

विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री सुदर्शन प्रसाद पिता का नाम स्व० भगवान प्रसाद, जाति अग्रवाल निवास स्थान कुण्ड मुहल्ला टीचर ट्रेनिंग के पीछे, पोस्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू झारखण्ड पेशा व्यवसाय नागरिकता भारतीय।

PAN -FSCPP4837H आधार नं० -9045 0742 5630

शपथ पत्र सं०- 1146

दिनांक- 02.07.2020

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री रणजीत कुमार अग्रवाल पिता का नाम राम निवास प्रसाद अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवास स्थान कुण्ड मुहल्ला, अग्रसेन कॉलनी, चार्ड नं० 8, पोस्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड पेशा व्यवसाय, नागरिकता भारतीय।

PAN -ALSPA2436R आधार नं० - 3823 2057 0572

शपथ पत्र सं०- 1147

दिनांक- 02.06.2020

Anand Kumar Agrawal
ANAND KUMAR AGRAWAL
S/o Ram Niwas Prasad
Kund, Me. Ni. N. G.

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य:- (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मो0 11,10,000/- (ग्यारह लाख दस हजार) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:- मो0 11,10,000/- (ग्यारह लाख दस हजार) रुपये मात्र।

(5) सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 5.62 डी0 (पांच दशमलव छः दो डिसमील) जमीन अन्तर्गत मौजा निमियां, अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी को खरीदगी रैयती जमीन हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है:-

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हो0 नं0
निमियां	192	51	1 स्टेट झारखण्ड	555

नगर निगम हो0 नं0-02A0000150000M0

खाता नं0	प्लॉट नं0	बिक्री रकवा डी0 में
16 (सोलह)	147 (एक सौ सैतालीस)	5.62 डी0 (पांच दशमलव छः दो डिसमील)

चौहदी:-

उत्तर :- मसोमात तपेश्वरी कुवर

दक्षिण :- श्रीमती संजु अग्रवाल

पूरब :- रेलवे की जमीन

पश्चिम :- रोड पी0 डब्लु0 डी0 का

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो0 5/- रुपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

Sudashan Das
Ajay Kumar Agrawal
S/o Ram Niwesh Prasad
Kunal Mishra
Deepti Palan

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी ने स्वयं से दिनांक 17.06.1999 ईस्वी को श्री रामदास महतो, घुरन महतो, सुरेश महतो, शंकर महतो, सभी के पिता स्व० बसंत महतो, रामदेनी महतो एवं नथुनी महतो दोनों के पिता स्व० प्रहलाद महतो, जाति कोइरी, ग्राम निमियां, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू के निवासी से क़य कर प्राप्त किये हैं। जिसका केवाला नं० 4825 बुक नं० 1 वौ० नं० 537 पेज नं० 353 से 357 है, जो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में दिनांक 21.02.2011 को निबंधित हुआ है। नामांतरण होकर डिमाण्ड होल्डिंग नं० 555 पर चलता है एवं कम्प्युटरीकृत रजिस्टर दो के वर्तमान भाग 4 पृष्ठ सं० 85 पर लेख्यकारी का नाम दर्ज है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रूपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भाँति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका

(Sudanshu Basal
 Rajesh Kumar Aggarwal
 Ramolines Pal Aggarwal
 Kund Amballe

S/o

आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारी ने भी इस मूल्यांकण को प्रत्येक बिन्दु से उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारी ने एक्सीस बैंक डालटनगंज के चेक सं० 035341 एवं युनियन बैंक डालटनगंज शाखा के चेक नं० 004068 तथा इसी शाखा के दूसरा चेक नं० 004069 के माध्यम से लेख्यकारी को भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवार सहित निवास करें, चाहरदिवारी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

Sudanshan Prasad
2.7.11

यह कि लेख्यकारी यह वादा करते हैं कि उपरोक्त उपर वर्णित जमीन पर ऋण-भार नहीं किया गया है और न आज से पहले किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा राज्यपाल के नाम से हस्तांतरित नहीं किये हैं यानि सभी दोषों से मुक्त है। अगर किसी तरह का नुक्स पाया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी एवं क्षतिपूर्ति के साथ देनदार लेख्यकारी स्वयं हैं अथवा इनके उतराधिकारी होंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक
लव
रंजीत कुमार अग्रवाल
02.7.2020



किशन मेहता
दस्तावेज लिपिक नॉनो 111/03
मेदिनीनगर, पलामू

मैं किशन मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 स्वाम मेदिनीनगर, प्रमाणित करता हूँ कि दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का नाम-लिखा गया है, का बांधे हाथ के सभी कियुक्तियों का निष्पादन मेरे सामने लिखा गया है।

मजबूत करने के किशन मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 स्वाम मेदिनीनगर, केवाला पढ़ कर दोनों पक्षों के झुना-स्वामा दिमा बोले कि ठीक है। 02.7.2020

Basel,

Sudashan
2.7.2020